बैंक प्रतिभूति-।। (पीबीजी-।।) देने के लिए फार्मेट

---------------------- में एफएम प्रसारण के लिए बैंक प्रतिभूति

भारत के राष्ट्रपति जो .... (अधिकारी का पदनाम), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (इसमें इसके बाद "मंत्रालय" कहा गया है) के माध्यम से कार्य कर हरे हैं, ने ....* को (आशय-पत्र धारी का नाम और पता) (इसमें इसके बाद "आशय-पत्र धारी" कहा गया है) अनुमति प्रदान करने वाले करार (इसमें इसके बाद आशय-पत्र धारी को "अनुमति प्रदान करने वाला" कहा जाएगा) को निष्पादित करने के लिए निर्धारित किए कर्त्तव्यों जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि आशय-पत्र धारी इस मंत्रालय को आशय-पत्र धारी और मंत्रालय के मध्य निष्पादित किए जाने वाले अनुमति प्रदान करने के करार की निबंधन और शर्तों तथा आशय-पत्र के अनुसार इन कर्त्तव्यों के उचित अनुपालन तथा निष्पादन के लिए इसमें निर्धारित की गई राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी अनुसूचित बैंक से बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा, के अनुसार .... में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा स्थापित करने, बनाए रखने तथा प्रचालित करने के लिए आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने पर सहमति व्यक्त की है।

जबकि हम .... बैंक (बैंक के नाम, पते और अन्य ब्यौरे का उल्लेख किया जाए) बैंकिंग कम्पनी (उपक्रम का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसमें इसके बाद "संबंधित बैंक" के रूप में उल्लेख किया गया है) के तहत गठित किया गया कारपोरेट निकाय जिसका मुख्यालय .... में और अन्य

.... पर शाखा कार्यालय है, एतदद्वारा मंत्रालय को स्प्ष्ट रूप से और बिना शर्त यह आश्वासन देते हैं कि आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाला आशय-पत्र/अनुमति प्रदान करने वाले करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार तथा उक्त आशय-पत्र/अनुमति के संबंध में यथा-अपेक्षित सेवाएं प्रदान करेगा और इनका निष्पादन मंत्रालय को संतुष्ट करने वाला होगा

इसलिए अब हम संबंधित बैंक एतदद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि हमने यह प्रतिभूति दी है और हम आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले की ओर से आपको प्रदान किए जाने वाले कुल .... रूपए (प्रतिभूति की राशि) केवल .... रूपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और हम आपको आपकी प्रथम लिखित मांग पर बिना किसी नुकता-चीनी, आपत्ति अथवा तर्क, के उपर्युक्त उल्लिखित .... रूपए (प्रतिभूति की राशि) की सीमा के भीतर निर्धारित कोई राशि अथवा राशियां तत्काल और इसमें निर्धारित की गई राशि के लिए आपकी मांग के संबंध में आपकी ओर से बिना कोई साक्ष्य दिए अथवा आधारों को बिना दर्शाए अथवा कारणों के संबंध में बिना पूछे भुगतान करने का वचन देते हैं।

हम संबंधित बैंक इस बात पर सहमत हैं कि मंत्रालय का आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले के संबंध में यह निर्णय कि क्या वह उक्त आशय-पत्र/अनुमति की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों का निर्वाह करने अथवा इन्हें निष्पादित करने में असफल हो गया है अथवा इनमें लापरवाही कर रहा है अथवा प्रदान की गई सेवा कमियों और खामियों से मुक्त है अथवा नहीं तथा इसके तहत बैंक द्वारा मंत्रालय को देय राशि बैंक पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगी। मंत्रालय और उक्त आशय-

पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मध्य किसी विवाद का इस प्रतिभूति के तहत हमारे कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हम एतद्द्वारा ऋण की मांग हमें प्रस्तुत करने से पहले आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले से आपको उक्त ऋण की मांग करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं न कि केवल आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले की प्रतिभूति।

इसके अतिरिक्त हम इस बात से भी सहमत हैं कि इस आशय-पत्र/अनुमति की शर्तों अथवा इनके तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों अथवा किसी अनुमति/आशय-पत्र दस्तावेज की शर्तों में किसी परिवर्तन अथवा वृद्धि अथवा किसी अन्य संशोधन से हम इस प्रतिभूति के तहत अपनी किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे और हम एतद्द्वारा इस प्रकार के किसी परिवर्तन, वृद्धि अथवा संशोधन इत्यादि के बारे में सूचना देने से छूट प्रदान करते हैं।

हम .... बैंक एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि हम निम्नलिखित से सहमत हैं :

(क) ***इसमें दिया गया आश्वासन आशय-पत्र/अनुमति की अवधि समाप्त होने तक पूर्णतः लागू तथा प्रभावी रहेगा।*** यह आश्वासन इस आशय-पत्र/अनुमति द्वारा और तहत मंत्रालय की सभी देय राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने तक तथा इसके दावों का निपटारा किए जाने तक अथवा इन्हें पूरा किए जाने तक अथवा मंत्रालय द्वारा यह सूचित किए जाने तक कि उक्त आाय-पत्र/अनुमति प्राप्त

करने वाले ने उक्त आशय-पत्र/अनुमति की सभी निबंधन और शर्तों को पूरी तरह और उपयुक्त रूप से पूरा किया है और तदनुसार इस आश्वासन को पूरा कर दिया गया , तक जारी रहेगा।

(ख) मंत्रालय को इसके तहत हमारी सहमति के बिना और हमारे कर्त्तव्यों को किसी प्रकार से न निभाते हुए उक्त आशय-पत्र/अनुमति की किसी निबंधन और शर्त को परिवर्तित करने तथा समय-समय पर उक्त आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले के किसी कार्य के निष्पादन का समय बढ़ाने अथवा उक्त आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले के विरुद्ध अनुमति मंत्रालय द्वारा प्रयोग की जाने योग्य किसी शक्ति को किसी समय तक अथवा समय-समय पर निलंबित करने और उक्त आशय-पत्र/अनुमति से संबंधित किसी निबंधन और शर्त को निलम्बित करने अथवा लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी तथा हम उक्त आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रदान की जा रही किसी घट-बढ़ अथवा विस्तार अथवा स्थगन अधिनियम अथवा मंत्रालय की ओर से किसी चूक अथवा मंत्रालय द्वारा उक्त आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रदान की गई किसी रियायत अथवा उसे ऐसा कोई मामला अथवा वस्तु प्रदान करने जो प्रतिभूति से संबंधित कानून के तहत अन्यथा हमें इस प्रकार मुक्त करने के संबंध में इस प्रावधान को प्रभावित करेगी, को छोड़कर अन्य कारणों से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होंगे।

(ग) ऐसा कोई दावा जो आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले के विरुद्ध हमारे पास है वह इसके तहत पूर्व-भुगतान तथा हमारे सभी कर्त्तव्यों के पूर्णतः निष्पादन की

शर्त के आधार पर इसके अधीन होगा और हम मंत्रालय की लिखित पूर्व-अनुमति के बिना इस प्रकार के किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में किसी विधिक अधिकार अथवा उपचार का इतनी लम्बी अवधि तक प्रयोग नहीं करेंगे कि इसके तहत हमारे कर्तव्य अधूरे और शेष रह जाएं।

(घ) यह प्रतिभूति अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे कर्तव्य हमारे द्वारा अथवा आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ.) बैंक मंत्रालय की पूर्व सहमति के बिना इस प्रतिभूति को बीच में ही रद्द नहीं करेगा।

अपने नियमों के तहत बैंक इस प्रतिभूति को शक्ति प्रदान करता है और श्री ...., जिन्होंने बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए हैं इस प्रतिभूति को निष्पादित करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हैं।

बैंक अथवा आशय-पत्र/अनुमति प्राप्त करने वाले के नाम, नियमों अथवा पते में कोई परिवर्तन होने के कारण यह प्रतिभूति समाप्त अथवा प्रभावित नहीं होगी।

यह प्रतिभूति आज की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए और .... द्वारा दायित्व में कमी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 28 दिनों तक वैध होगी।

प्रत्येक दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से कम से कम एक माह पहले इस प्रतिभूति का नवीकरण किया जाएगा।

प्रतिभूति देने वाले के हस्ताक्षर और मोहर ....

बैंक का नाम ....

पता ....

दिनांक ....

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

1. ....

(नाम और व्यवसाय)

2. ....

(नाम और व्यवसाय)